



प्रिय विद्यार्थियों,

नानकचन्द एंग्लो संस्कृत (पी0जी0) कालेज, मेरठ में आपका स्वागत है। महाविद्यालय की स्थापना सन् 1952 में पंडित नानकचन्द जी की स्मृति में हुई थी। महाविद्यालय ने आरम्भ से ही शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। महाविद्यालय अपने स्थापना से ही उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रयासरत् है तथा शिक्षा में उच्च मानकों को बनाये रखते हुये राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उत्थान में योगदान देने के लिए जाना जाता है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा घोषित विभिन्न कक्षाओं की योग्यता सूची में स्थान पाते रहे हैं।

चूँकि आप नानकचन्द एंग्लो संस्कृत (पी0जी0) कालेज, मेरठ में प्रवेश लेने पर विचार कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप महाविद्यालय के अनुशासित वातावरण में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के लिए खुद को तैयार करेंगे। इन उद्देश्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी इंगित किया गया है।

जीवन में सफलता के राह आसान नहीं हैं और यह पूरी तरह से समर्पण, अनुशासन, कड़ी मेहनत, योग्यता, ईमानदारी और सीखने की तीव्र इच्छा पर आधारित है। इन गुणों ने लोगों को सामान्य से असधारण बनाया है। महाविद्यालय प्रबन्धन, शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारी छात्रों को सीखने, कौशल बढ़ाने और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण देने हेतु हर सम्भव प्रयासरत् है।

मैं आपके सद् प्रयासों में सफलता की कामना करता हूँ।

**प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल**  
प्राचार्य

## महाविद्यालय : संक्षिप्त परिचय

‘सा विद्या या विमुक्तये’

(जो मुक्ति प्रदान करे वही विद्या है)

इस उपनिषद् वाक्य को चरितार्थ करते हुए नानकचन्द ऐंग्लो संस्कृत महाविद्यालय, मेरठ, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरस्वती का यह पावन मंदिर युगद्रष्टा महान् दानी और समाजसेवी पंडित नानक चंद जी के इच्छा पत्र (will letter) का प्रतिफल है, जो नानकचन्द ट्रस्ट के माध्यम से वर्ष 1903 में साकार रूप में सामने आया। वर्ष 1909 में संयुक्त प्रांत के तत्कालीन राज्यपाल सर जॉन प्रेसकॉट हैबिट द्वारा महाविद्यालय के मुख्य भवन के शिलान्यास के साथ नानकचन्द हाई स्कूल, मेरठ अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 में संस्था को इंटरमीडिएट कॉलेज की मान्यता प्राप्त हुई। इसी तरह प्रगति के सोपानों को छूते हुए वर्ष 1952 में आगरा विश्वविद्यालय से कला संकाय में आठ विषयों की संबद्धता/ मान्यता मिलने के साथ यह नानकचन्द ऐंग्लो संस्कृत महाविद्यालय अपने वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया।

महाविद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं गणित विषयों के स्नातक पाठ्यक्रमों को वर्ष 1952 में मान्यता मिली। वर्ष 1956 में भौतिकी, रसायन शास्त्र और सांख्यिकी के स्नातक पाठ्यक्रमों को स्थायी संबद्धता प्राप्त हुई। वर्ष 1958 में शिक्षा और विधि संकाय के स्नातक पाठ्यक्रमों को मान्यता मिली, साथ ही समाजशास्त्र विषय की स्नातक कक्षाओं का आरंभ हुआ। वर्ष 1959 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 1960 में समाजशास्त्र और गणित की स्नातकोत्तर कक्षाओं को मान्यता प्राप्त हुई। वर्ष 1961 में शिक्षा संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई तथा वर्ष 1965 में भौतिकी और रसायन शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाओं को स्थायी संबद्धता प्राप्त हुई। इसी क्रम में चित्रकला विषय के स्नातक पाठ्यक्रम को वर्ष 1986 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम





को वर्ष 1990 में मान्यता मिली। वर्ष 2000 में वाणिज्य और 2001 में जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की स्नातक कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 2006 में वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 2015 में विधि संकाय के स्नातकोत्तर (LL.M.) पाठ्यक्रम को स्थायी संबद्धता प्राप्त हुई। वर्ष 2022 में B.P.E.S. एवं B.Sc. in Home Science (Clinical Nutrition and Dietetics) विषयों में स्नातक कक्षाएं प्रारंभ हुई और साथ ही वाणिज्य विषय में अतिरिक्त दो सेक्शन आरंभ किए गए। वर्तमान सत्र 2024-25 में भी Bachelor of Computer Application (B.C.A.) व Post Graduate Diploma in Cyber Crime and Law (PGDCCL) पाठ्यक्रम संचालन हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्धा प्राप्त हुई है जो महाविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि है।

यह महाविद्यालय शिक्षण के साथ-साथ सभी विषयों में शोध का भी प्रमुख केंद्र है। महाविद्यालय ने शिक्षणेत्तर गतिविधियों यथा खेल कूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में विशिष्ट पहचान बनाई है। लक्षाधिक ग्रंथों से समृद्ध पुस्तकालय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित संग्रहालय इस महाविद्यालय को अन्य महाविद्यालयों से विशिष्ट बनाते हैं। क्रीडा के क्षेत्र में महाविद्यालय के हॉकी के मैदान ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं को निखारा है जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देकर महाविद्यालय की ख्याति को दिग्-दिगंत में प्रसारित कर रहे हैं।

इस प्रकार पंडित नानकचन्द के आदर्श के अनुरूप महाविद्यालय अपने आदर्श वाक्य 'सत्यं शिवं सुंदरम्' को आत्मसात् करते हुए विद्या रूपी कल्याणकारी सुन्दर सत्य को अपने विद्यार्थियों में प्रकाशित करते हुए 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' के अनुसार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अनवरत रूप से ले जाते हुए अपने अस्तित्व को सार्थक कर रहा है।



## महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

सत्र : 2024-25

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | श्री दीपक मीणा (I.A.S.), जिलाधिकारी, मेरठ           | पदेन अध्यक्ष |
| 2. | श्री अमित कुमार शर्मा                               | सचिव         |
| 3. | श्री राजेन्द्र शर्मा                                | सदस्य        |
| 4. | श्री पंकज शर्मा                                     | सदस्य        |
| 5. | प्रोफेसर युद्धवीर सिंह, प्राचार्य, मेरठ कॉलेज, मेरठ | पदेन सदस्य   |
| 6. | प्रोफेसर मनोज कुमार अग्रवाल                         | प्राचार्य    |
| 7. | प्रोफेसर मधु शर्मा (शिक्षक प्रतिनिधि)               | पदेन सदस्य   |
| 8. | श्री अभिषेक भाटिया (शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि)          | पदेन सदस्य   |



अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।

(अज्ञान रूपी अन्धकार से दृष्टिहीन अर्थात् भ्रमित मनुष्य को जिसने ज्ञान रूपी अंजन शलाका (औषधि) से दृष्टि प्रदान की है, (सन्मार्ग दिखाया है) उस ज्ञानी उपकारी गुरु को नमस्कार है।)

## आचार्य कुल

प्रो० मनोज कुमार अग्रवाल - प्राचार्य

## कला संकाय

### चित्रकला विभाग

1. प्रो. अलका तिवारी
2. रिक्त
3. रिक्त

### अर्थशास्त्र विभाग

1. प्रो. चिन्मयी चतुर्वेदी
2. डॉ. देवेश कुमार टंडन
3. श्री रोबिन
4. रिक्त
5. रिक्त

### अंग्रेजी विभाग

1. डॉ. सुनील जोशी
2. श्रीमती रश्मि
3. डॉ. उमेश बंसल
4. डॉ. सरिता सिंह
5. रिक्त
6. रिक्त

### हिन्दी विभाग

1. प्रो. मधु शर्मा
2. प्रो. प्रज्ञा पाठक
3. प्रो. ललिता यादव
4. डॉ. कविश्री जायसवाल
5. रिक्त

### इतिहास विभाग

1. प्रो. स्मिता शर्मा
2. डॉ. पंकज शर्मा
3. रिक्त
4. रिक्त

### शारीरिक शिक्षा विभाग

1. रिक्त

### राजनीति विज्ञान विभाग

1. प्रो. अनुराधा सिंह
2. प्रो. साधना चतुर्वेदी
3. श्री दिलीप कुमार जैसवार
4. रिक्त
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त

### संस्कृत विभाग

1. प्रो. उमा शर्मा
2. डॉ. सन्दीप कुमार
3. रिक्त

### समाज शास्त्र विभाग

1. प्रो. संजीव महाजन
2. प्रो. मालती
3. प्रो. संजय कुमार
4. रिक्त

## विज्ञान संकाय

### भौतिक विज्ञान विभाग

1. प्रो. सुनील कुमार शर्मा (द्वितीय)
2. प्रो. सुनिल कुमार शर्मा (प्रथम)
3. प्रो. अनिल कुमार मिश्रा
4. डॉ. हरीश कुमार गुप्ता
5. डॉ. अजय कुमार
6. डॉ. नीरज शर्मा
7. श्री सुमित गंगवार
8. रिक्त

### गणित विभाग

1. प्रो. मीनाक्षी गौड़
2. प्रो. गौरव कुमार
3. डॉ. वीरेश शर्मा
4. डॉ. अजेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती रेशु त्यागी

### सांख्यिकी विभाग

1. प्रो. विवेक त्यागी

### रसायन विज्ञान विभाग

1. प्रो. अनीता शर्मा
2. डॉ. विभा शर्मा
3. श्री नवदीप सिंह
4. डॉ. बालेन्दु सिंह
5. श्री प्रिन्स
6. श्रीमती पारुल तोमर
7. रिक्त
8. रिक्त

### विधि संकाय

1. डॉ. निशात जहाँ
2. डॉ. अशोक कुमार
3. डॉ. फरहा
4. श्री सुवेक सिंह चौहान
5. रिक्त
6. रिक्त
7. रिक्त

पुस्तकालयाध्यक्ष - रिक्त

### शिक्षा संकाय

1. प्रो. अनु कुमारी
2. प्रो. राजीव कुमार
3. श्री सन्तलाल रावत
4. प्रो. सुचित्रा देवी
5. श्रीमती वन्दना
6. डॉ. रामेन्द्र कुमार गुप्ता (अवकाश पर)
7. रिक्त
8. रिक्त

### स्व-वित्तपोषित विभाग

#### जीव विज्ञान विभाग

1. डॉ. दीप्ती शर्मा
2. डॉ. सुमन चौहान
3. डॉ. मोनी वर्मा
4. डॉ. अर्चना गुप्ता

#### वाणिज्य विभाग

1. डॉ. आर. आर. भारद्वाज
2. डॉ. हेमन्त कुमार यादव
3. डॉ. रेखा गर्ग
4. डॉ. एस.के. घई
5. डॉ. रीना
6. डॉ. सीमा शर्मा

#### शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद (बी.पी.ई.एस.)

1. डॉ. शिवा भारद्वाज
2. डॉ. मनोज कुमार

#### विधि विभाग (एलएल.एम. एवं पी.जी. डिप्लोमा इन साईबर क्राइम एण्ड लॉ)

1. डॉ. चन्दन उपाध्याय
2. श्री प्रफुल्ल राठी
3. डॉ. दीपिका श्रीवास्तव

#### गृह विज्ञान विभाग

1. श्रीमती रिया गंगनेजा (अवकाश पर)
2. श्रीमती महुआ चौधरी
3. डॉ. दीपिका त्यागी

#### कम्प्यूटर साइंस विभाग (बी. सी. ए.)

1. श्री अजय कुमार गुप्ता
2. श्री आदित्य कटियार
3. श्री लोकेश कुमार

पुस्तकालयाध्यक्ष - डॉ. शुचि कौशिक



## कार्यालय कार्मिक

श्री सन्दीप कुमार सिंघल  
लेखाकार

श्री अभिषेक भाटिया  
कार्यालय अधीक्षक

श्री संजय कुमार शर्मा  
आशुलिपिक

### सामान्य लेखा एवं पुस्तकालय अनुभाग

- |                        |                |                           |                |
|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 1. श्री राम संजीवन     | - वरिष्ठ सहायक | 10. श्री अनिल कुमार वर्मा | - कनिष्ठ सहायक |
| 2. श्रीमती सुषमा यादव  | - कनिष्ठ सहायक | 11. श्री विनय पाराशर      | - कनिष्ठ सहायक |
| 3. श्री राजकुमार       | - कनिष्ठ सहायक | 12. रिक्त                 |                |
| 4. श्री उपेन्द्र शर्मा | - कनिष्ठ सहायक | 13. रिक्त                 |                |
| 5. श्री मनोज निर्मल    | - कनिष्ठ सहायक | 14. रिक्त                 |                |
| 6. श्री सत्यवीर शर्मा  | - कनिष्ठ सहायक | 15. रिक्त                 |                |
| 7. श्री नवीश गुप्ता    | - कनिष्ठ सहायक | 16. रिक्त                 |                |
| 8. श्री बी.एस. रावत    | - कनिष्ठ सहायक | 17. रिक्त                 |                |
| 9. श्री महेश कुमार     | - कनिष्ठ सहायक | 18. रिक्त                 |                |

### प्रयोगशाला सहायक

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. श्री बृज किशोर नीलरतन | 3. डॉ. घनश्याम शर्मा |
| 2. डॉ. सुशील कुमार       | 4. रिक्त             |

### चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

- |                          |                            |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. श्री मूलचन्द          | 14. श्री राकेश कुमार       | 27. श्री गौरव कुमार |
| 2. श्री विनोद            | 15. श्री फूल सिंह          | 28. रिक्त           |
| 3. श्री राम प्रकाश       | 16. श्री विनोद कुमार शर्मा | 29. रिक्त           |
| 4. श्री के. प्रसाद       | 17. श्री रमेश चन्द लोधी    | 30. रिक्त           |
| 5. श्री भूप सिंह         | 18. श्री सतेन्द्र कुमार    | 31. रिक्त           |
| 6. श्री खुमा शर्मा       | 19. श्री रमन कौशिक         | 32. रिक्त           |
| 7. श्री रामेश्वर दयाल    | 20. श्री अमित कुमार शर्मा  | 33. रिक्त           |
| 8. श्री राजीव कुमार गोला | 21. श्री सुरेन्द्र पाल     | 34. रिक्त           |
| 9. श्री जय प्रकाश शर्मा  | 22. श्री गौरव शर्मा        | 35. रिक्त           |
| 10. श्रीमती महेन्द्री    | 23. श्री नाज़िम            | 36. रिक्त           |
| 11. श्री शिव प्रकाश      | 24. श्रीमती अन्नो देवी     | 37. रिक्त           |
| 12. श्री अजय मिश्रा      | 25. श्री नवीन जोशी         | 38. रिक्त           |
| 13. श्री अश्विनी कुमार   | 26. श्री सुनील कुमार       | 39. रिक्त           |

### प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक सूचना

वर्ष 2024-25 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु सभी प्रवेशार्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट (<https://ccsuadmission.in>) पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रवेशार्थी पंजीकरण आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी (Hard Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। पंजीकरण की अन्तिम तिथि के उपरान्त, प्रवेश विश्वविद्यालय एवं शासन के निर्देशों के आलोक में ही किये जाएँगे। प्रवेश नियम एवं अहर्ताएँ, विश्वविद्यालय वेबसाइट (<https://ccsuadmission.in>) एवं कॉलेज वेबसाइट ([www.nascollege.org](http://www.nascollege.org)) पर उपलब्ध हैं। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के स्नातक तथा परास्नातक स्तर पर सभी प्रवेश सेमेस्टर प्रणाली से NEP-2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत किये जायेंगे।

#### स्नातक उपाधि

#### बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०कॉम० (प्रथम सेमेस्टर-NEP )

संकाय	कक्षा	मुख्य विषय	अनिवार्य विषय
कला	बी०ए० प्रथम सेमेस्टर	कला वर्ग-हिन्दी (180), संस्कृत (60), अंग्रेजी (240), अर्थशास्त्र (180), राजनीति शास्त्र (240), समाजशास्त्र (120), चित्रकला (60), इतिहास (120), गणित (60), शारीरिक शिक्षा (60), पुस्तकालय विज्ञान (60)	<b>विषय IV ( माइनर इलेक्टिव )-</b> प्रत्येक विद्यार्थी को अपने संकाय में से लिये गए तीन विषयों के अतिरिक्त अन्य संकाय का भी एक पेपर प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में लेना अनिवार्य होगा।
विज्ञान	बी०एस-सी० प्रथम सेमेस्टर	गणित वर्ग-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित (120) सांख्यिकी वर्ग- भौतिक विज्ञान/अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित (30) जीव विज्ञान वर्ग- जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान (60) (स्ववित्त-पोषित पाठ्यक्रम)	<b>विषय V ( कौशल विकास कोर्स ) -</b> प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स करना अनिवार्य होगा। <b>विषय VI सह-विषय कोर्स (Co-Curricular)-</b> प्रथम सेमेस्टर - खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता द्वितीय सेमेस्टर - प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
वाणिज्य	बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर	वाणिज्य (300) (स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम)	

#### बी०ए०/बी०एस-सी०/बी०कॉम० (तृतीय सेमेस्टर-NEP )

संकाय	कक्षा	मुख्य विषय	अनिवार्य विषय
कला/ विज्ञान/ वाणिज्य	बी.ए./ बी.एस-सी./ बी.कॉम. तृतीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी, प्रथम सेमेस्टर में चुने गये तीन मुख्य विषयों के अनुसार ही प्रवेश लेंगे।	<b>विषय IV ( माइनर इलेक्टिव )-</b> प्रत्येक विद्यार्थी को अपने संकाय में से लिये गए तीन विषयों के अतिरिक्त अन्य संकाय का भी एक पेपर तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में लेना अनिवार्य होगा। <b>विषय V ( कौशल विकास कोर्स ) -</b> प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स करना अनिवार्य होगा। <b>विषय VI सह-विषय कोर्स (Co-Curricular)-</b> तृतीय सेमेस्टर - मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर - शारीरिक शिक्षा एवं योग



### बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०कॉम० (पंचम सेमेस्टर-NEP)

संकाय	कक्षा	मुख्य विषय	अनिवार्य विषय
कला/ विज्ञान/ वाणिज्य	बी.ए./बी.एस.सी./ बी.कॉम पंचम सेमेस्टर	पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थी, प्रथम सेमेस्टर में चुने गये तीन मुख्य विषयों में से, किन्हीं दो विषयों में प्रवेश लेंगे।	<b>पंचम सेमेस्टर -</b> विषय-III माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट-1 * विषय-IV सह-विषय कोर्स (Co-Curricular) विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस <b>षष्ठ सेमेस्टर -</b> विषय-III माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट-2 * विषय-IV सह-विषय कोर्स (Co-Curricular) संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास

\* नोट - पंचम व षष्ठ सेमेस्टर के रिसर्च प्रोजेक्ट का संयुक्त मूल्यांकन षष्ठ सेमेस्टर में किया जायेगा।

#### शिक्षा संकाय

बी०ए० (50) - पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय के अद्यतन आदेशों के अन्तर्गत किये जाएंगे।

#### विधि संकाय

एल-एल०बी० (180) - पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय के अद्यतन आदेशों के अन्तर्गत किये जाएंगे।

#### स्नातकोत्तर उपाधि

- कला संकाय** - एम०ए० हिन्दी (60), संस्कृत (60), अंग्रेजी (60), अर्थशास्त्र (60), राजनीतिशास्त्र (60), समाजशास्त्र (60), चित्रकला (20) एवं इतिहास (60)
- विज्ञान संकाय** - एम०एस०-सी० भौतिक विज्ञान (20), रसायन विज्ञान (20) एवं गणित (60)
- वाणिज्य संकाय** - एम०कॉम० (120) (स्ववित्त - पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)
- (सत्र 2024-25 से उपरोक्त संकायों में प्रवेश NEP-2020 के अन्तर्गत होंगे।)
- शिक्षा संकाय** - एम०ए० (20)
- विधि संकाय** - एल-एल०एम० (60) (स्ववित्त - पोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत)

#### व्यवसायिक पाठ्यक्रम

##### स्ववित्त - पोषित

1- Bachelor of Physical Education and Sports (B.P.E.S.)	60 सीट
2- Bachelor of Science in Home Science (Clinical Nutrition and Dietetics)	60 सीट
3- Bachelor of Computer Application (BCA)	60 सीट
4- PG Diploma in Cyber Crime and Law (one year)	40 सीट

#### पी-एच०डी० (शोध-उपाधि)

महाविद्यालय में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, चित्रकला, वाणिज्य, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं विधि संकाय में शोध करने की उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में छात्र/छात्राएँ इच्छुक विषय में किसी अध्यापक के निर्देशन में (रिक्ति की उपलब्धता पर) विश्वविद्यालय के अद्यतन नियमों के अन्तर्गत, अर्हता पूरी होने पर शोध हेतु पंजीकरण करा सकते हैं।

**NEP-2020 के अंतर्गत स्नातकोत्तर / परास्नातक (एम०ए०, एम०एस०सी०, एम०काम०)  
स्तर हेतु परीक्षा परिणाम / ग्रेडिंग प्रणाली एवं बैक पेपर सम्बन्धी अध्यादेश**

विश्वविद्यालय विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2024 के मद संख्या-12 (3) में निम्नवत निर्णय पारित किये गये हैं

1. सत्र 2024-25 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में एन०ई०पी०-2020 के अनुसार परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जायें जिनका सिलेबस एवं नियम वही होंगे जो वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित एन०ई०पी०-2020 के अन्तर्गत परास्नातक पाठ्यक्रमों के हैं।
2. महाविद्यालयों में एन०ई०पी०-2020 के अन्तर्गत स्नातक में प्रविष्ट छात्र जो अपनी तीन वर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण करते हैं, को विश्वविद्यालय नियमानुसार परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा महाविद्यालयों में उपलब्ध विषय एवं सीटों के अनुसार मेरिट में आने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. एन०ई०पी०-2020 के अन्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्र यदि अपने परास्नातक प्रथम वर्ष को उत्तीर्ण करने के पश्चात अपना पाठ्यक्रम छोड़ते हैं तो छात्र के अनुरोध पर उन्हें "Bachelor (Research) in Faculty" की उपाधि प्रदान की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन०ई०पी०-2020 के अन्तर्गत संचालित परास्नातक पाठ्यक्रमों का सिलेबस विश्वविद्यालय वेबसाइट [www.ccsuniversity.ac.in](http://www.ccsuniversity.ac.in) पर विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के साथ अपलोड किया जा चुका है।

**1. ग्रेडिंग प्रणाली**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, चौधरीचरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर / परास्नातक स्तर पर-शासनादेश संख्या-401 / सत्र-3-2022, दिनांक 09 फरवरी 2022 के अनुसार एवं विद्वत परिषद् की बैठक दिनांक 14.06.2022 के मद संख्या-06 के द्वारा सत्र 2022-23 से लागू की गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी० काम० के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली शासनादेश संख्या 1032/सत्र-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के अनुसार एवं विश्वविद्यालय पत्रांक गोप0/356 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा सत्र 2021-22 से लागू की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर / परास्नातक स्तर पर सत्र 2022-23 से विश्वविद्यालय में 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

1.1 स्नातकोत्तर / परास्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया भी वही होगी जो विश्वविद्यालय ने अपनाई हुई है।

1.2 मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत 36 प्रतिशत होगा। वृहद शोध परियोजना के कोर्स / पेपर भी पूर्णांक 100 के Credit course है तथा इनका भी उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत होगा।

1.3 सभी विषयों के मुख्य / माइनर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 30 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 70 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

1.4 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स / पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 70 अंकों में से न्यूनतम 21 अंक (70 का 30 प्रतिशत) एवं आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक् रूप से अधिकतम 30 अंकों में से न्यूनतम 09 अंक (30 का 30 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने होंगे।

1.5 आन्तरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी को उस कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय की बाह्य परीक्षा देने के लिए अनुमत किया जायेगा।

1.6 वृहद शोध परियोजना एक वर्ष में कुल 08 क्रेडिट्स की होगी जो कि दो सेमेस्टर्स में सतत् कार्य करके पूर्ण करनी होगी विद्यार्थी को यह शोध परियोजना विभाग के एक पूर्णकालिक शिक्षक (Supervisor) के निर्देशन में करनी होगी। इस शोध का मूल्यांकन वर्ष के अंत में अधिकतम 100 अंकों में से किया जायेगा इस कोर्स/पेपर के न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत ही होंगे। विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना की रिपोर्ट /Dissertation/Thesis विभाग में जमा करनी होगी तथा उसे एक परीक्षक



समिति (Board of Examiners) के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। इस परीक्षक समिति में Supervisor एवं एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (कुलपति जी द्वारा नामित) होंगे। विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना के मूल्यांकन में 80 से अधिक अंक निम्न उपलब्धि पर ही दिए जा सकेंगे— वृहद शोध परियोजना में किए गए कार्य पर आधारित शोध पत्र प्रकाशित / Accepted करने पर (अ) 81 से 90 तक अंक यदि शोध पत्रिका वर्तमान UGC CARE सपेज में सम्मिलित है। (ब) 91 अथवा अधिक अंक यदि शोध पत्रिका SCOPUS अथवा Web of Science में सम्मिलित है।

1.7 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेंगे।

1.8 स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) अथवा परास्नातक / स्नातकोत्तर (Post Graduation) उपाधि प्राप्त करने हेतु न्यूनतम CGPA 4.0 प्राप्त करना आवश्यक होगा।

## 2. कक्षान्नोति (Promotion)

2.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

2.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात् स्नातकोत्तर के वर्तमान प्रथम वर्ष से अगले द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :-

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50: क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल, वृहद शोध परियोजना मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। 50: क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

यदि कोई विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में पूर्ण रूप से अथवा आधे से अधिक क्रेडिट्स के पेपर्स में अनुपस्थित अथवा अनउत्तीर्ण होता है तो उसे अगले वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जायेगा।

(4) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA नहीं होगा।

2.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसको न्यूनतम 4.0 CGPA के साथ पूर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी छोड़कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) (Graduation with Research) की उपाधि दी जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने विश्वविद्यालय में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि पूर्ण की है।

## 3. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

3.1 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

3.2 एक विद्यार्थी बैक पेपर के रूप में किसी एक सेमेस्टर में, मुख्य विषय के 12 क्रेडिट्स तक के थ्योरी व प्रैक्टिकल के पेपर ही ले सकेगा। एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

3.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा अंक सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

3.4 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण कोर्स / पेपर में बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा कालबाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किन्तु उत्तीर्ण विषयों में अंक सुधार हेतु केवल एक अवसर ही उपलब्ध होगा।

3.5 आन्तरिक परीक्षा में उत्तीर्ण पेपर / कोर्स में बैक पेपर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

## 4. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) :- यदि विद्यार्थी सतत्ता में दोनों वर्ष की पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम छः वर्ष मिलेंगे। किन्तु यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के पश्चात् स्नातक (शोध सहित) की उपाधि लेकर चला जाता है तो वह बाकी के एक वर्ष की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के एक वर्ष की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष मिलेंगे।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुक्रम में स्नातक स्तर पर प्रवेश-सम्बन्धी दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी0सी0 लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई, 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश - सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

### 1. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणी:

- यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०कॉम० पर सत्र 2021-22 से प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी।

### 2. प्रवेश की व्यवस्था:

- विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम महाविद्यालय में एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio / Maths / Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बंधित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिये संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021 (<http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx>) के अनुसार होगा।
- विद्यार्थी महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों / शिक्षकों / संस्थानों / नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- छात्र को महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव) पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।



- ✦ कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- ✦ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलेक्टिव पेपर आवंटित किया जाएगा।
- ✦ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3x4=12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill development Courses) पूर्ण करना होगा।
- ✦ स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular); करना अनिवार्य होगा।
- ✦ इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए., (C.G.P.A.) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

### 3. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया:

- ✦ विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक (Vocational) प्रशिक्षण – पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- ✦ विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- ✦ विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

### 4. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण:

- ✦ सैद्धांतिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13–15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- ✦ प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26–30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- ✦ विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 अर्जित करने पर पी. जी. डी. आर. ले सकता है।
- ✦ एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिये माने जाएंगे अर्थात् उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिये उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- ✦ यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम

क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।

- ✦ द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- ✦ तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- ✦ यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा—112 का 60 अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।
- ✦ यदि कोई योग्य छात्र सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Recredit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

#### 5. शोध परियोजना – (Research Project)

- ✦ विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / इंटरनशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- ✦ शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी। एक अन्य को— सुपरवाइजर किसी उद्योग / कम्पनी / तकनीकी संस्थान / शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- ✦ **विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जाएगा।**
- ✦ स्नातक के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी. जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- ✦ परास्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रवेश निम्नवत नियमों के आधार पर ही होंगे।

#### 6. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण:

- ✦ क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- ✦ परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ✦ छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

#### 7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ।

- ✦ विद्यार्थी यू०जी०सी०/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय परिसर को जोड़ने होंगे।
- ✦ विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

**8. परीक्षा व्यवस्था:**

- ✦ सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- ✦ सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिये बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- ✦ 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- ✦ असाइनमेंट तथा क्लास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- ✦ सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

**9. उपर्युक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है—**

- ✦ स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Certificate in Faculty** प्रदान किया जा सकता है।
- ✦ द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Diploma in Faculty** प्रदान किया जायेगा।
- ✦ तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर **Bachelor in Faculty** की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- ✦ प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- ✦ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम. ओ. यू. हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किये जायेंगे।

**10. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) :**

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-विषय पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा —

- प्रथम सेमेस्टर: खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- द्वितीय सेमेस्टर: प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- तृतीय सेमेस्टर— मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- चतुर्थ सेमेस्टर: शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- पंचम सेमेस्टर: विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
- षष्ठम् सेमेस्टर: संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)



## प्रवेश सूचना (Admission Notice)

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्र-39010



इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के एन०ए०एस० कॉलेज, मेरठ में स्थित अध्ययन केन्द्र में उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के पोस्ट-ग्रेजुएट, डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कोर्स जैसे MBA, M.Com., MA (Rural Development, Sociology, Hindi, English, Economics, History), B.A., B.Sc., B.Com., BBA (Retail Management), Diploma in Creative Writing, Post - graduate Diploma in Rural Development, Post - graduate Diploma (Cyber Law) Environmental Law, Criminal Justice, Patent Management) अनेक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें। किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए भी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है। **विस्तृत जानकारी के लिए प्रो० संजीव महाजन – समन्वयक से बुधवार सांय 04:00 बजे से सांय 06:00 बजे एवं रविवार प्रातः 10:00 बजे से सांय 2:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।**

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अध्ययन केन्द्र- S-708



उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा प्रवेश सम्बन्धी समस्या से जूझ रहे छात्र-छात्राओं एवं रोजगारपरक शिक्षा को दृष्टिगत करते हुए महाविद्यालय को अपना स्टडी सेन्टर (अध्ययन केन्द्र) बनाया गया है। इस केन्द्र पर निम्नलिखित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

1. बी. ए., 2. वाणिज्य (बी. कॉम.), 3. विज्ञान (बी.एस-सी.), 4. एकल विषय में बी. ए. (सभी विषय), 5. एकल विषय में बी.एस-सी. (जन्तु, वनस्पति, भौतिक, रसायन, गणित), 6. एम. ए., 7. एम. कॉम., 8. एम.एस-सी., 9. स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा, 10. बी.बी.ए., बी.सी.ए., 11. ग्रामीण पत्रकारिता, योग, ज्योतिष विज्ञान, डिप्लोमा इन ई-बिजनेस व अन्य तरह के हाईस्कूल, इण्टर व स्नातक स्तर के डिप्लोमा व प्रमाण पत्र वाले पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। **प्रत्येक कार्य दिवस प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक प्रवेश हेतु प्रो० गौरव कुमार – समन्वयक से जानकारी की जा सकती है।**

## पाठ्येतर कार्यक्रम

### छात्र कल्याण परिषद्

#### क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थञ्च साधयेत्

(क्षण-क्षण का उपयोग करके विद्या और कण-कण एकत्र करके धन का संग्रह करना चाहिए।)

जरूरतमंद विद्यार्थियों के निर्बाध अध्ययन में सहायता हेतु यह परिषद् छात्रों के लिए कल्याण तथा निर्देशन सेवाओं का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है :-

- (1) **शुल्क मुक्ति** : इसका आधार शैक्षिक योग्यता एवं संरक्षक की आय है। शुल्क मुक्ति आवेदन पत्र कॉलेज कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। इन आवेदन-पत्रों को निर्धारित तिथि तक छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय में जमा करना होता है।
- (2) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / विकलांग छात्रों को कॉलेज में प्रवेश लेने के साथ ही छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र भरना होगा। इसके साथ ही उन्हें छात्र कल्याण परिषद् के अधिकारी से अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर बैंक में अपना खाता खोलना होता है।
- (3) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के सभी छात्र/छात्राओं को अपना मूल जाति प्रमाण-पत्र दिखाकर छात्र कल्याण परिषद् कार्यालय से अपने प्रवेश फार्म को अग्रसारित कराना अनिवार्य है।

### एन०सी०सी०

#### अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका।

(छोटी-छोटी वस्तुओं का संगठित स्वरूप बड़े-बड़े कार्य कर सकता है।)

एकता और अनुशासन का आदर्श लेकर स्वयं और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए कल्पित राष्ट्रीय कैडेट कोर की 71 UP BN NCC MEERUT की एक इकाई की मान्यता महाविद्यालय को प्राप्त है। इसमें प्रवेश हेतु महाविद्यालय के एन.सी. सी. कार्यालय में सम्पर्क करें।

### रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण

#### वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्

(चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए।)

उत्तम राष्ट्र के निर्माण हेतु उत्तम चरित्र वाले युवक-युवतियों की बहुत महत्ता है। इसी हेतु स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिये महाविद्यालय में रोवर्स / रेंजर्स की मान्यता प्राप्त इकाइयाँ हैं। इनकी सदस्यता हेतु सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिनों के अन्दर पंजीकरण कराना आवश्यक है।

## एन०एस०एस०

### सेवा धर्म: परम गहनो योगिनामप्यगम्यः

(सेवा का कर्तव्य बहुत कठिन होता है जो योगियों के लिए भी दुष्कर है।)

सेवा को अपना लक्ष्य बनाने वाली एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) की दो इकाइयाँ बी०ए०, बी०एससी, बी०कॉम०प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए संचालित है। इनमें प्रवेश हेतु सत्र प्रारम्भ होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित इंचार्ज प्रोफेसर (कार्यक्रम अधिकारी) को प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक है।

## संग्रहालय

### प्रलकीर्तिमपावृणु

(पूर्वजों की कीर्ति को अगली पीढ़ी तक पहुँचायें।)

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से संग्रहालय के महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। महाविद्यालय के पुस्तकालय में, महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा संग्रहीत सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व की कलाकृतियों को स्थापित किया गया है। जिसका रख-रखाव महाविद्यालय की संग्रहालय समिति करती है। यह अनूठा संग्रहालय एन.ए.एस. कॉलेज को अन्य महाविद्यालयों से विशिष्ट बनाता है।

## क्रीडा परिषद्

### व्यायाम: सदा पथ्यः

(व्यायाम सदा ही नीरोग रखने वाला होता है।)

खेल के क्षेत्र में कॉलेज की राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा एवं पहचान है। हॉकी, फुटबॉल तथा एथलेटिक्स में कॉलेज के खिलाड़ियों ने कई वर्षों तक विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप अर्जित की है। महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय खेलों में भी अपना स्थान बनाया है। खिलाड़ियों की उन्नति के लिए कॉलेज हर सम्भव प्रयास एवं सुविधा जुटाने की कोशिश करता है। साधनों के अनुसार खिलाड़ियों को किट तथा अन्य सहायता भी देने का प्रयास किया जाता है। महाविद्यालय के पास अपना विशाल खेल का मैदान है जिसमें हॉकी, क्रिकेट एवं फुटबॉल तथा सभी एथलेटिक्स खेलों की सुविधायें हैं। महाविद्यालय में समृद्ध जिम कक्ष है तथा महाविद्यालय में अपना कबड्डी मैट और बॉक्सिंग रिंग है जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी अभ्यासरत रहते हैं। यहां सभी खेलों के लिए उच्च कोटि के प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। खेलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिवर्ष क्रीडा परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें खेलों में रुचि लेने वाले प्राध्यापक तथा खिलाड़ी प्रतिनिधि होते हैं।



## पुस्तकालय

### सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्

(शास्त्र / ग्रन्थ सभी के लिए आँख होते हैं।)

पुस्तकालय किसी भी शैक्षिक संस्था का प्राण और उसकी महत्ता का द्योतक होता है। इस दृष्टि से महाविद्यालय के पुस्तकालय में इस समय विभिन्न विषयों की लगभग एक लाख पुस्तकें एवं दुर्लभ ग्रन्थ तथा अनेक पत्र-पत्रिका व शोध ग्रन्थ उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में एक विशाल अध्ययन कक्ष एवं वाचनालय है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के e-Resource Centre में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं।

#### पुस्तकालय सम्बन्धी नियम :

- (1) पुस्तकालय में प्रवेश के समय छात्रों को पुस्तकालय कार्ड व परिचय-पत्र साथ लाना होगा क्योंकि कॉलेज के विद्यार्थी ही पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं।
- (2) पुस्तकें लेने के लिए पुस्तकालय कार्ड बनवाना अनिवार्य है। प्रवेश के बाद पुस्तकालय का कार्ड बनवाने के लिए प्रवेश की रसीद, एक फोटो एवं परिचय-पत्र लाना आवश्यक है। पुस्तकालय कार्ड खोने पर दोबारा नहीं बनाया जायेगा। कार्ड की पूरी जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। यह कार्ड अहस्तांतरणीय होता है। अतः इसे दूसरे विद्यार्थी को नहीं देना चाहिए।
- (3) सभी विद्यार्थी पुस्तकालय से ली गयी पुस्तकों को परीक्षा प्रारम्भ होने से 10 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से वापिस करके अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- (4) पुस्तकालय से छात्रों को पुस्तकों का आदान-प्रदान विषयवार निश्चित तिथि को होता है जिसमें उल्लंघन के परिणामस्वरूप छात्रों को अर्थदण्ड देना होता है। कटी-फटी पुस्तकें वापस नहीं होंगी।
- (5) पुस्तकालय तथा वाचनालय में बातें करना वर्जित है।

## महिला प्रकोष्ठ

### यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः

(जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देव गण प्रसन्नता से निवास करते हैं।)

सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नति में महिलाओं के योगदान और महत्त्व को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना व उचित मार्गदर्शन देना, वर्तमान समाज में व्याप्त अनेकानेक सामाजिक बुराइयों जैसे - दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या आदि के प्रति छात्राओं को सजग करना व उन्हें न्यायोचित कार्यवाही के लिए प्रेरित करना इस महिला प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है।

### निर्धन एवं निम्न आय वर्ग शैक्षिक सहायता प्रकोष्ठ

#### अयोग्य: पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः

(कोई भी व्यक्ति, अयोग्य नहीं होता उसकी प्रतिभा की पहचान कर समुचित कार्य में लगाने वाला मुश्किल से मिलता है।)

निर्धन एवं निम्न आय वर्ग के छात्र-छात्राओं को जो कि अपनी सामाजिक विषमताओं और संकुचितता के कारण विद्यार्थी जीवन में प्रतिभाओं के धनी होते हुए भी जीवन मूल्यों एवं उच्च लक्ष्यों को पाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे छात्र-छात्राओं को चिन्हित करना, उनमें उत्साह, धैर्य एवं उनके विवेक को जागृत करके उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना तथा उन्हें समाज की मुख्य प्रगतिशील धारा से जोड़ने के लिए उनकी विशेष सहायता एवं मार्गदर्शन करना इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य है।

### साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद्

#### साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः

(साहित्य, संगीत और कलाओं से रहित मनुष्य बिना पूँछ और सींग का साक्षात् पशु ही है।)

इस परिषद् का गठन विद्यार्थियों में मृदुल भाव, सांस्कृतिक चेतना जगाने एवं उनको इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय में अनेक प्रतियोगितायें जैसे- वाद-विवाद, निबन्ध लेखन, क्विज, कला प्रदर्शनी तथा संगीत एवं नाट्य से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाता है। उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय, अन्तरविश्वविद्यालय, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

### महाविद्यालय पुरातन छात्र परिषद्

#### गुरोर्विद्या यस्मिन् फलति स हि शिष्यः प्रियतमः

(गुरु की विद्या जिस विद्यार्थी में फलित होती है वही शिष्य सबसे प्रिय होता है।)

अनेक राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महाविद्यालय के नाम को स्वर्णाक्षरों में लिखने वाले पुरातन छात्रों का महाविद्यालय में एक सक्रिय संगठन है। महाविद्यालय में दो वर्ष या इससे अधिक पढ़े विद्यार्थी, शिक्षक अथवा कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति इसके आजीवन सदस्य हो सकते हैं। इसका आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 500/- है। वर्तमान में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित व उच्च पदों पर आसीन अनेक पुरातन छात्र। सनउदप ोवबपंजपवद के सदस्य हैं।

## अनुशासन एवं आचार संहिता

### आचारहीन न पुनन्ति वेदाः

(सदाचार से विहीन व्यक्ति को वेदादि सत्य शास्त्र भी पवित्र नहीं कर सकते।)

महाविद्यालय प्रांगण में दैनिक जीवन में अनुशासन बनाये रखने और विद्यार्थियों में अनुशासन-क्षमता व उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिये कॉलेज के शिक्षकों के संरक्षण में एक अनुशासन परिषद् का गठन किया जाता है। इस परिषद् में योग्य विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष छात्र नायक के रूप में चयन किया जाता है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है महाविद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हों तथा अपने शिक्षकों, कर्मचारियों एवं सहपाठियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें, जो कि विद्यार्थी के चरित्र निर्माण एवं महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन का वातावरण बनाये रखने के लिए परमावश्यक है। महाविद्यालय के नियमों का पालन न करने वाले अथवा अवांछित गतिविधियों में लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के पर्याप्त अधिकार अनुशासन परिषद् को प्राप्त हैं। अभिभावकों से भी महाविद्यालय में अनुशासन को शालीनता से उच्च स्तरीय बनाने में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय में स्वस्थ परम्परायें एवं उच्च कोटि का शैक्षिक वातावरण हेतु विद्यार्थियों के लिए एक अनुशासन संहिता है। जिसका प्रत्येक विद्यार्थी को अनुपालन करना अनिवार्य है।

## करियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग प्रकोष्ठ

कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियाँ हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस महाविद्यालय में विद्यार्थियों को अध्ययन करते हुए रोजगार / स्व-रोजगार, व्यवसायिक, सामाजिक क्षेत्रों में उन्नत भविष्य की सम्भावनाओं की दृष्टि से उचित मार्गदर्शन देने हेतु इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। जिसमें आकर छात्र / छात्रायें अपने भविष्य सम्बन्धी योजनाओं एवं सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुये शैक्षिक निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं।

## उपस्थिति

- (अ) कोई भी छात्र उस समय तक किसी भी विषय की विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सकता, जब तक कि उस विषय की सैद्धान्तिक (Theory) तथा प्रयोगात्मक (Practical) कक्षाओं में उसकी अलग-अलग उपस्थिति 75 प्रतिशत नहीं होगी।
- (ब) उपस्थिति की गणना कॉलेज में शिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से होगी चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को लिया गया हो।
- (स) विद्यार्थी को अपनी उपस्थिति अपने अध्यापक से प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ज्ञात कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विषय में उसकी उपस्थिति कम तो नहीं है। यदि विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रह जाती है और परीक्षा में कम उपस्थिति के कारण बैठने की अनुमति नहीं मिलती तो वह विद्यार्थी का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।

### सामान्य अनुशासन संहिता

1. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है। यदि कोई भी छात्र इस कृत्य में लिप्त पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
2. किसी भी विद्यार्थी को महाविद्यालय परिसर में मोबाइल प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
3. प्रत्येक छात्र के लिए यह अनिवार्य है कि महाविद्यालय में रहने पर परिचय-पत्र साथ रखें। किसी भी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से परिचय पत्र दिखाने की माँग की जा सकती है। परिचय पत्र दिखाने में प्रतिवाद अथवा असमर्थता प्रकट करने पर अनुशासनहीनता के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी।
4. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अकारण महाविद्यालय के शिक्षण-कक्षों के सामने न घूमें और खाली समय को पुस्तकालय/वाचनालय में अध्ययन करने में सदुपयोग करें।
5. महाविद्यालय की सम्पत्ति एवं पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाना, दीवारों को गन्दा करना या उनके ऊपर लिखना अनुचित है, ऐसा करने पर गम्भीर अनुशासनहीनता मानी जाएगी। इसके लिए उत्तरदायी विद्यार्थी दण्ड के भागी होंगे, आवश्यक समझने पर उनका निष्कासन भी किया जा सकता है।
6. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की वेशभूषा शालीन होनी चाहिए।
7. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुशासन की दृष्टि से शिक्षण काल में अपने मित्रों व सम्बन्धियों को महाविद्यालय में नहीं लायेंगे।
8. महाविद्यालय में विद्यार्थी आवश्यक पुस्तक/कॉपी व लेखन सामग्री हमेशा साथ लेकर आयें।
9. महाविद्यालय में कोई भी विद्यार्थी धूम्रपान, शराब व अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
10. महाविद्यालय में परीक्षा के दौरान मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना यू०एफ०एम० (UFM) की परिधि आता है और नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
11. विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय में उपलब्ध व्यायाम / खेलों की सुविधा का भरपूर सदुपयोग करें जिससे कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके।
12. विद्यार्थी इस प्रविवरण पुस्तिका (Prospectus) में दिये गए प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़ें व उसका अनुपालन करें, साथ ही महाविद्यालय के सूचना पट्ट को प्रतिदिन देखें।
13. महाविद्यालय में किसी भी नियम की अवहेलना दण्डनीय है। नियम की जानकारी न होना विद्यार्थी को निर्दोष साबित नहीं करता है।
14. महाविद्यालय में शैक्षिक व अनुशासन व्यवस्था आदि में प्राचार्य का निर्णय अन्तिम तथा सर्वोपरि होगा।
15. उन सब प्रसंगों पर, जिनका विवरण इस प्रविवरण पुस्तिका में नहीं है, प्राचार्य का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
16. विद्यार्थियों के लिये केवल दोपहिया वाहन खड़ा करने की व्यवस्था महाविद्यालय में नियत पार्किंग स्थल पर है। विद्यार्थियों के लिए कार पार्किंग की व्यवस्था महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है।



### प्रवेश प्रक्रिया संबंधी आवश्यक चरण

- Step 1.** प्रत्येक प्रवेशार्थी और अभिभावक के लिए यह आवश्यक है कि वह इस विवरणिका को भली भाँति पढ़ ले। प्रत्येक प्रवेशार्थी को निर्धारित फॉर्म के साथ निम्न वर्णित प्रपत्रों को लगाना अनिवार्य है। अपूर्ण फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
- Step 2.** प्रवेशार्थी प्रवेश फॉर्म को पूर्ण कर, आवश्यक प्रपत्रों के साथ, प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- Step 3.** प्रवेश समिति समस्त प्रपत्रों की जांच करके एवं अर्हता को पूर्ण करने वाले प्रवेशार्थी को फीस जमा करने की अनुमति देगी।
- Step 4.** प्रवेश समिति से अनुमति मिलने के पश्चात्, प्रवेशार्थी [www.nascollege.org](http://www.nascollege.org) पर उपलब्ध fee payment link पर जाकर निर्धारित शुल्क को online जमा करेगा।
- Step 5.** निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात्, प्रवेशार्थी ऑनलाईन शुल्क भुगतान की रसीद की PDF download कर, उसका Print out निकालने के बाद, उसके General Section copy, Account Section copy and Student copy में निर्धारित स्थान पर अपना फोटो लगायेगा।
- Step 6.** फोटो लगे हुए Print out को प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत कर, प्रवेशार्थी अपनी शुल्क भुगतान की रसीद की Student copy एवं I-Card प्राप्त करेगा।
- Step 7.** प्रवेशार्थी प्राप्त I-Card को, मुख्य नियंता कार्यालय (Chief Proctor Office) में Proctor से हस्ताक्षर कराकर पूर्ण करायेगा।
- Note :** ऑनलाईन शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति को सम्भाल कर रखना जरूरी है। इसको परीक्षा फॉर्म के साथ जमा करवाना आवश्यक है।

### प्रवेश के समय आवश्यक प्रपत्र

छः (6) फोटो, टी. सी., चरित्र प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, अद्यतन EWS प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आवश्यक अंक तालिकाएँ एवं प्रमाणपत्रों की मूल एवं फोटो कॉपी, विश्वविद्यालय पंजीकरण फॉर्म की मूल प्रति तथा ऑफर लेटर (केवल स्नातक/स्नातकोत्तर-प्रथम सेमेस्टर प्रवेशार्थियों के लिए), ऑनलाईन शुल्क भुगतान की रसीद की प्रति।

### महत्वपूर्ण निर्देश

- संस्थागत उत्तीर्ण छात्रों द्वारा विगत संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) मूल रूप में प्रवेश फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
- गत परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि एम०ए० (चित्रकला), एम०एस-सी० (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित) के लिए स्नातक स्तर की तीनों वर्षों की अंकतालिका लगाना आवश्यक है।
- यदि पूर्व परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है तो माइग्रेशन प्रमाण-पत्र मूल रूप से परीक्षा फॉर्म के साथ लगाया जायेगा।
- जाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि (केवल अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के प्रवेशार्थियों के लिए) वही मान्य होगी जिनका सत्यापन इंटरनेट पर महाविद्यालय के सम्बन्धित पटल सहायक द्वारा कर लिया गया हो।
- स्नातक के द्वितीय व तृतीय वर्ष के प्रवेशार्थी जो पुनः परीक्षा (Back Paper) के लिए अर्ह हैं और वे SC/ST वर्ग के हैं तो उन्हें प्रवेश हेतु पूर्ण शुल्क देना होगा।

### CONSOLIDATED FEE STRUCTURE (AIDED COURSES) : 2024-25

(अनुदानित पाठ्यक्रमों का शुल्क)

Sr. No.	CLASS	FEE	
		GENERAL/OBC/SC/ST	
		BOYS	GIRLS
1	B.A. I NEP	1857.00	1725.00
2	B.A. I (One Practical) NEP	2097.00	1965.00
3	B.A. I (Two Practical) NEP	2337.00	2205.00
4	B.A. II NEP	1657.00	1525.00
5	B.A. II (One Practical) NEP	1897.00	1765.00
6	B.A. II (Two Practical) NEP	2137.00	2005.00
7	B.A. III	1157.00	1025.00
8	B.A. III (One Practical)	1397.00	1265.00
9	B.A. III (Two Practical)	1637.00	1505.00
10	B.Sc. I (PCM/PSM) NEP	2587.00	2455.00
11	B.Sc. II (PCM/PSM) NEP	2137.00	2005.00
12	B.Sc. III (PCM/PSM)	1637.00	1505.00
13	B.Sc. I (ESM) NEP	2347.00	2215.00
14	B.Sc. II (ESM) NEP	1897.00	1765.00
15	B.Sc. III (ESM)	1397.00	1265.00
16	LL.B. I	1356.00	1176.00
17	LL.B. II	3056.00	2876.00
18	LL.B. III	3056.00	2876.00
19	M.A./M.Sc. I (Math) for New Student	1456.00	1276.00
20	M.A./M.Sc. I (Math) for Old Student	1256.00	1076.00
21	M.A. I (Drawing) for New Student	1936.00	1756.00
22	M.A. I (Drawing) for Old Student	1736.00	1556.00
23	M.A./M.Sc. II (Math)	1156.00	976.00
24	M.A. II (Drawing)	1636.00	1456.00
25	M.Sc. I (Phy. & Chem.) for New Student	2236.00	2056.00
26	M.Sc. I (Phy. & Chem.) for Old Student	1786.00	1606.00
27	M.Sc. II (Phy. & Chem.)	1636.00	1456.00
28	B.Ed. I	1872.00	1656.00
29	B.Ed. II	1572.00	1356.00
30	M.Ed. I	1972.00	1756.00
31	M.Ed. II	1672.00	1456.00

**CONSOLIDATED FEE STRUCTURE (SELF FINANCE COURSES) : 2024-25**  
(स्ववित्त - पोषित पाठ्यक्रमों का शुल्क)

CLASS	I Year	II Year	III Year
B.Com.	10577.00	10377.00	10377.00
B.Sc. (Bio)	11307.00	10857.00	10857.00
BPES	13077.00	12877.00	12877.00
B.Sc. - Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics)	13807.00	13357.00	13357.00
BCA	24327.00	-----	-----
M.Com. (For New Student)	12177.00	11877.00	-----
M.Com. (For Old Student)	11977.00	11677.00	-----
LL.M.	38177.00	37877.00	
PG Diploma in Cyber Crime and Law (PGDCCL)	28512.00	-----	-----

1. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये क्रीडा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क देय नहीं है।
2. शासन / विश्वविद्यालय से, यदि शुल्क में परिवर्तन होता है तो विद्यार्थियों को उसके अनुरूप शुल्क देना होगा।
3. शुल्क में मुक्ति का लाभ उन्हीं SC/ST प्रवेशार्थियों को ही मिल सकेगा, जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय अद्यतन शासनादेश के अनुरूप होगी। इंटरनेट पर महाविद्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा आय प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात् ही शुल्क - मुक्ति का लाभ मिलेगा, अन्यथा पूर्ण शुल्क देना होगा।
- 4- **समस्त कक्षाओं का शुल्क महाविद्यालय की वेबसाइट [www.nascollege.org](http://www.nascollege.org) पर उपलब्ध Fee Payment के लिंक पर जाकर online जमा करवाना होगा।**
5. प्रतिभूति राशि कॉलेज छोड़ने के उपरान्त शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा तक माँगने पर देय है, तत्पश्चात् देय नहीं है।
6. शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह प्रवेशार्थियों को शासन द्वारा घोषित तिथि के अन्दर ही online आवेदन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
7. उ०प्र० शासन द्वारा SC/ST वर्ग के अर्ह प्रवेशार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। अतः परीक्षा सम्बन्धी किसी विवाद से बचने के लिए प्रवेश के समय पूर्ण शुल्क जमा करा दें।

**शोध शुल्क**  
महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों में शोध शुल्क हेतु, सम्बन्धित लिपिक से सम्पर्क करें।

**DETAILS OF ANNUAL FEE ( JULY 2024 - JUNE 2025) FOR ALL CATEGORY STUDENTS AS PER UNIVERSITY RULES**

Sl. No.	Items	B.A.	B.SC.	M.A. Drawing	M.A./ M.Sc. (Math)	M.Sc. Phy. & Chem.	LL.B.	B.ED.	M.ED.
1	Tuition Fee	132	132	180	180	180	180	216	216
2	Admission Fee	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Dearness Allowance	42	42	42	42	42	42	42	42
4	Library Fee	36	36	36	36	36	36	36	36
5	Scholar's Registration Fee	5	5	10	10	10	10	10	10
6	Hot & Cold Weather Fee	200	200	200	200	200	200	200	200
	<b>Total (A)</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>471</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
1	Medical Fee	24	24	24	24	24	24	24	24
2	Identity Card Fee	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Registration Fee (College)	115	115	115	115	115	115	115	115
4	Internal Exam/Computer Fee	100	100	100	100	100	0	0	100
5	Reading Room Fee	12	12	18	18	18	18	18	18
6	Games Fee	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Student's Aid Fund	5	5	5	5	5	5	5	5
8	Development Fee	36	36	36	36	36	36	36	36
9	Student Walfare Fee	5	5	5	5	5	5	5	5
10	Physical Edu. (University Practical Fee)	60	60	0	0	0	0	0	0
11	Magazine Fee	75	75	75	75	75	75	75	75
12	Literary Cultural Association	15	15	15	15	15	15	15	15
13	Internet Fee	20	20	20	20	20	20	20	20
14	C.C. Fee	24	24	24	24	24	24	24	24
15	Marks Sheet Fee	70	70	70	70	70	70	70	70
16	Admit Card Fee	25	25	25	25	25	25	25	25
17	Rovers Rangers	50	50	50	50	50	50	50	50
18	Skill Development Fee	500	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Total (B)</b>	<b>1239</b>	<b>1239</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>685</b>
1	One Practical Lab. Fee (C )	240	240	480	0	480	0	480	480
2	Two Practical Lab. Fee (D)	480	480	0	0	0	2000	0	0
	<b>Total Fee :</b>								
1	<b>Without Practical Total Fee (A+B)</b>	<b>1657</b>	<b>1657</b>	<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>1056</b>	<b>1092</b>	<b>1192</b>
2	<b>One Practical Total Fee (A+B+C)</b>	<b>1897</b>	<b>1897</b>	<b>1636</b>	<b>0</b>	<b>1636</b>	<b>1056</b>	<b>1572</b>	<b>1672</b>
3	<b>Two Practical Total Fee (A+B+C)</b>	<b>2137</b>	<b>2137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Additional Fee :</b>								
1	Lab. Caution Money (Ist Year)	0	250	0	0	300	0	0	0
2	Library Caution Money (Ist Year)	200	200	300	300	300	300	300	300



## Administrative Committees

### Student Welfare Committee

1. Prof. S. K. Sharma – II Dean
  2. Prof. S. K. Sharma – I Asst. Dean
  3. Prof. Smita Sharma Asst. Dean
  4. Prof. Uma Sharma Asst. Dean
  5. Prof. Malti Asst. Dean
  6. Dr. Ajendra Sharma Asst. Dean
  7. Dr. Faraha Asst. Dean
- Plus five students from P.G. Classes  
(Nominated by HODs)

### Proctorial Board

1. Prof. Lalita Yadav Chief Proctor
2. Dr. Kavishree Jaiswal Proctor
3. Dr. Devesh Kumar Tandon Proctor
4. Prof. Sanjay Kumar Proctor
5. Dr. Chandan Upadhyay Proctor
6. Dr. Shiva Bhardwaj Proctor
7. Dr. Manoj Kumar Proctor

### Anti-Ragging and Internal Complaint Committee

1. Prof. Prajna Pathak Convener
2. Prof. Rajive Kumar Member
3. Prof. Lalita Yadav Ex-officio Member

### Central Admission Committee

1. Prof. A. K. Mishra Convener
2. Dr. H. K Gupta Member

### Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

1. Prof. Vivek Tyagi Coordinator
2. Prof. Chinmayee Chaturvedi Member
3. Prof. Rajive Kumar Member
4. Dr. Viresh Sharma Member
5. Sh. Neeraj Sharma Member

### Sports Committee

1. Prof. Anuradha Singh Vice-Chairman
  2. Prof. Sanjay Kumar Secretary
  3. Dr. Ashok Kumar Member
  4. Sh. Sumit Gangwar Member
  5. Sh. Suvek Singh Chauhan Member
  6. Dr. Shiva Bhardwaj Member
  7. Dr. Manoj Kumar Member
- Plus five sports students from different faculties

### Cultural Committee

1. Prof. Alka Tiwari Convener
  2. Dr. Pankaj Sharma Member
  3. Dr. Vibha Sharma Member
  4. Dr. Rekha Garg Member
  5. Dr. S. K. Ghai Member
- Plus five students from different faculties  
(Nominated by HODs)

### College Magazine Committee

1. Prof. Sanjeev Mahajan Convener
2. Dr. Kavishree Jaiswal Member
3. Dr. Sandeep Kumar Member
4. Dr. Sarita Singh Member

### Gender Equity and Women Empowerment Committee

1. Prof. Sadhna Chaturvedi Convener
2. Prof. Anita Sharma Member
3. Dr. Nishat Jhan Member
4. Dr. Rashmi Member

### Career Counselling Cell

1. Prof. Vivek Tyagi Convener
2. Dr. Sunil Joshi Member
3. Dr. Balendu Singh Member
4. Dr. Deepti Sharma Member

### AISHE, RUSA, NIRF, ABACUS and Manav Sampada Cell

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Prof. Sanjay Kumar | Convener |
| 2. Sh. Navdeep Singh  | Member   |
| 3. Sh. Sumit Gangwar  | Member   |
| 4. Sh. Robin          | Member   |

### Library Committee

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Prof. Sanjeev Mahajan   | Convener |
| 2. Sh. S. L. Rawat         | Member   |
| 3. Dr. Ajay Kumar          | Member   |
| 4. Dr. Umesh Bansal        | Member   |
| 5. Sh. Suvek Singh Chauhan | Member   |
| 6. Dr. R. R. Bhardwaj      | Member   |
- Plus five students from different faculties  
(Nominated by HODs)

### Alumni Committee

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Prof. Minakshi Gaur  | Convener         |
| 2. Prof. Madhu Sharma   | Member Secretary |
| 3. Dr. Ajendra Sharma   | Member           |
| 4. Dr. Chandan Upadhaya | Member           |

### NEP Cell

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Prof. Sanjay Kumar      | Convener |
| 2. Dr. Sandeep Kumar       | Member   |
| 3. Dr. Balendu Singh       | Member   |
| 4. Sh. Sumit Gangwar       | Member   |
| 5. Sh. Robin Kumar         | Member   |
| 6. Sh. Suvek Singh Chauhan | Member   |
| 7. Dr. R. R. Bhardwaj      | Member   |
| 8. Dr. Shiva Bhardwaj      | Member   |

### Development and Maintenance Committee

- |                            |          |
|----------------------------|----------|
| 1. Prof. S. K. Sharma – II | Convener |
| 2. Prof. A. K. Mishra      | Member   |
| 3. Dr. H. K Gupta          | Member   |
| 4. Sh. Sanjay Kumar Sharma | Member   |
| 5. Sh. Sundeep Singhal     | Member   |

### ICT Committee

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| 1. Prof. Gaurav Kumar | Convener |
| 2. Dr. H. K Gupta     | Member   |
| 3. Sh. Aditya Katiyar | Member   |

## Important Portfolios

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Prof. Vivek Tyagi        | – Training and Consultancy Cell              |
| 2. Prof. A. K. Mishra       | – Public Information Officer/ Press          |
| 3. Dr. Ashok Kumar          | – In-charge : NCC                            |
| 4. Prof. Alka Tiwari        | – In-charge: NSS (Unit – I)                  |
| 5. Sh. Navdeep Singh        | – In-charge: NSS (Unit – II)                 |
| 6. Sh. Sumit Gangwar        | – In-charge: Rovers                          |
| 7. Dr. Kavishree Jaiswal    | – In-charge: Rangers                         |
| 8. Prof. Gaurav Kumar       | – In-charge: Examination Cell                |
| 9. Prof. Gaurav Kumar       | – Coordinator: Rajarishi Tandon University   |
| 10. Prof. Sanjeev Mahajan   | – Coordinator: IGNOU                         |
| 11. Dr. Devesh Kumar Tandon | – In-charge: Dispensary                      |
| 12. Sh. Abhishek Bhatia     | – Campus In-Charge                           |
| 13. Sh. Raj Kumar           | – Assistant Public Information Office/ Press |